A16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी हरिनाम आदित्य R.A.S.
वाद सं. 21/12

दिलदार पुत्र बलवीर जाति गुर्जर निवासी टीकरी तहसील कठूमर जिला अलवर --- वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नगर --अप्रत्यर्थी प्रति०
2. रेशम पत्नी राधे] जाति गूजर निवासी बराड़ा तह. कठूमर
3. रामवती पत्नी संतो] जिला अलवर
4. मोरध्वज] पि. बलवीर जाति गूजर निवासी टीकरी
5. श्रीध्वज] तहसील कठूमर जिला अलवर
6 कस्तूरी पत्नी बलवीर जाति गूजर नि० टीकरी तह. कठूमर
7. बाबूलाल पुत्र करन सिंह] जाति जाट नि० पुठेरा तह. नगर
8 छिद्दी पुत्र रामहेत] जिला भरतपुर
-- फोरमल प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88-89
राज० काश्त० अधिनियम

उपस्थित
1. श्री बच्चू सिंह अभिभाषक वादी
2. " पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.4.14

वादी ने यह दावा [illegible] का संस्थित किया है कि आ. ख.नं. $\frac{1202}{0.72}$, [illegible] [illegible] कित्ता 4 रकबा 2.49 एवं ख.नं. $\frac{1208}{1.23}$, $\frac{[illegible]}{0.19}$, $\frac{[illegible]}{0.71}$ वाके ग्राम पुठेरा तहसील नगर में स्थित है। उक्त नम्बरान में से ख.नं. 1202, [illegible] 1204, धिकारी 1205 एवं 1208 में वादी का नाम हरिध्वज दर्ज है, जबकि राज0 ख.नं. $\frac{1210}{0.19}$ व ~~[illegible]~~ $\frac{1187}{0.71}$ में वादी का सही नाम दिलदार दर्ज हो रहा है, तथा उक्त दोनो खाते में वादी हरिध्वज के-

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

47

के स्थान पर सही नाम दिलदार दर्ज कराने का अधिकारी है। अन्त मे निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे तथा आ० ख० नं० 1202/0.72, 1203/0.43, 1204/1.04, 1205/0.30, कित्ता 4 रकबा 2.49 एवं आ० ख० नं० 1208/1.23, 1210/0.19, 1187/0.77 वाके ग्राम कुंडेरा तहसील पर वादी का नाम हरिध्वज पुत्र बलबीर के स्थान पर दिलदार पुत्र बलबीर किया जावे।

दावा दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 लगा 8 ने बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति० सं० 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय यदि वादी का नाम हरीध्वज के स्थान पर दिलदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करे तो पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे नकल-जमाबन्दी सम्वत 2065-68, नकल नामा० सं० 727 वाके ग्राम टीकरी तह० कठूमर जिला अलवर, नकल जमाबंदी सम्वत 2069-72 कित्ता 2 वाके ग्राम टीकरी तह० कठूमर जिला अलवर, प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत ~~कठू~~ टीकरी पं० स० कठूमर (अलवर) फोटो प्रति पहचान-पत्र एवं राशन कार्ड बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है।

हमने वादी के विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2065-68 वाके ग्राम कुंडेरा के खाता सं० 255 व 256 में ख० नं० 1187/0.77, 1210/0.19 की बाबत " मोरध्वज सिंह, श्रीध्वज सिंह, दिलदार सिंह पिसान बलबीर सिंह का नाम अन्य खातेदारान के साथ दर्ज होना पाया जाता है। तथा खाता सं० 180 व 254 पर आ० ख० नं० 1202/0.72, 1203/0.43, 1204/1.04, 1205/0.30 एवं ... की बाबत अन्य हिस्से-दारान के साथ--- ... हरिध्वज पिसान- ... नामा० सं० 727 बलबीर दर्ज होना ... बीरबल की विरासत वाके ग्राम टीकरी जो वादी के ... से साबित होता है- का दर्ज किया गया है के अवलोकन से

— 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

H/17

कि बीरबल के स्थान पर उनके वारिसान मोरध्वज सिंह, श्रीध्वज सिंह, दिलदार सिंह पुत्र चिरंजी बेवा बलबीर के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी सम्वत 2069-72 वाके ग्राम सीकरी तह. नदबई जिला भरतपुर के खाता नं. 124, 153, 202 में अन्य खातेदारान के साथ मोरध्वज सिंह, श्रीध्वज सिंह, दिलदार सिंह पि. बलबीरसिंह का नाम दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से यह साबित होता है कि वादी का सहीनाम दिलदार सिंह है जो राजस्व रिकार्ड में कहीं-2 हरिध्वज दर्ज किया जा रहा है तथा कहीं दिलदार सिंह दर्ज किया जा रहा, जिसको राजस्व रिकार्ड की एकरूपता की दृष्टि से दुरुस्त किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि —

दावा वादी डिक्री किया जाता है। ख. नं. 1202/0.72, 1203/0.43, 1204/1.04, 1205/0.30, 1208/1.23 वाके ग्राम कुंदेरा तहसील नगर में से हरिध्वज पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर सहीनाम दिलदार सिंह पुत्र बलवीर सिंह घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हरिनाम आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ...4 को लिखाकर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिनाम आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकद्दमे इब्तदाईत्र

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिदासी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 21/12

निर्णय दिनांक : 10.4.14

उनवान

दिलदार पुत्र बलबीर जाति गूजर निवासी टीकरी तहसील कठूमर जिला अलवर --- वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नगर --- कब्लप्रतिवादी
2. रेशम पत्नी मालिक } जाति गूजर निवासी बराडा तहसील कठूमर
3. रामवती पत्नी सन्तो } जिला अलवर
4. मोरध्वज } पिसा बलबीर जाति गूजर निवासी टीकरी तहसील कठूमर
5. शिवनूज } जिला अलवर
6. किस्तूरी पत्नी बलबीर जाति गूजर नि. टीकरी तह. कठूमर
7. बाबूलाल पुत्र कामसिंह } जाति जाट निवासी मुढेरा तहसील नगर जिला
8. छिदूरी पुत्र राम हेत } ---गैरकब्लप्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान (आर.टी.एक्ट.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी श्री नत्थू सिंह .... अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री कैसोमार सरकार मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है। खा. खं. नं. 1202/0.72, 1203/0.43, 1204/1.04, 1205/0.30, 1208/1.23 वाके ग्राम मुढेरा तहसील नगर में से हरिध्वज पुत्र बलबीर सिंह के स्थान पर सहीनाम दिलदार सिंह पुत्र बलबीर सिंह घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10.4.14 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०